न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
499 / 2025	29.09.2025	07/5/2026

उनवान

1. गोरूलाल पुत्र श्रीकिशन मीणा निवासी मीणा की कोटडी. तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा
2. राजू भील पुत्र श्री देवी लाल भील नि0 मीणा की कोटडी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर लाल मीणा पुत्र श्री उगमा मीणा नि0 मीणो की झोपड़िया (कोदुकोटा), तह0 भीलवाड़ा
2. कल्याण पुत्र श्री छोगा माडरी निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
3. कोयली पुत्री श्री छोगा गाडरी निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
4. मोहन पुत्र श्री छोगा गाडरी निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
5. भेरू पुत्र श्री तुलछा गाडरी निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
6. रामा पुत्र श्री तुलछा गाडरी निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज,
7. रतन पुत्र श्री हरिया भील निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाडा–राज
8. झमरू पत्नि श्री हजारी भील निवासी सिदड़ियास तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
9. गोपाल पुत्र श्री छोगालाल भील निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
10. धन्नी पुत्री श्री नाराण गाडरी निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज,
11. मोती पुत्र श्री नन्दा गाडरी निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–।
12. सोनाथ पुत्र श्री नन्दा गाडरी निवासी सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
13. हरक पत्नि श्री नाराण गाडरी निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज.
14. हीरालाल पुत्र श्री नाराण गाडरी निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा–राज
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा–राज.

—–विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री हनुमान सिंह राणावत उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं।**
3. **अप्रार्थी संख्या 15 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07/05/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह राणावत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिदडियास पटवार हल्का सिदडियास कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 379 आराजी संख्या 1120 रकबा 0.4299 हैक्टेयर आराजी संख्या 1127 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खाता संख्या 382 आराजी संख्या 1119 रकबा 0.4679 हैक्टेयर आराजी संख्या 1136 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 14 पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 14 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है।

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 14 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिदडियास पटवार हल्का सिदडियास कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 379 आराजी संख्या 1120 रकबा 0.4299 हैक्टेयर आराजी संख्या 1127 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खाता संख्या 382 आराजी संख्या 1119 रकबा 0.4679 हैक्टेयर आराजी संख्या 1136 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 14 को ~~——~~ सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 2000–00 अक्षरे दो हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो और नंबर से कम हो।

7/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा